वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या– /XVII-3/14-07 (18-MSDP)/2014

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 3/ दिसम्बर, 2014

विषय:–वित्तीय वर्ष 2014–15 में हरिद्वार जनपद के ब्लॉक नारसन (मंगलौर, सीकर) में महिला डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांक–1142 नि.स.क./एम.एस.डी.पी./डी.पी.आर./14–15 दिनांक 12.11.2014 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद हरिद्वार के ब्लाक नारसन (मंगलौर, सीकर) में महिला डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के शासनादेश संख्या– 3/20(4)/2013–पी0पी0–1 दिनांक 19.09.2014 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 19.09.2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 की तालिका–3 के क्रमांक–1 पर महिला डिग्री कालेज के निर्माण हेतु कुल ₹ 333.00 लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रांश ₹ 223.11 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में ₹ 111.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार नगर के ब्लॉक नारसन (मंगलौर, सीकर) में महिला डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **"उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0"** द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर टी0ए0सी0 द्वारा आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 334.67 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 297.09 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 37.58 लाख) के क्रम में, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कार्य की अनुमोदित लागत को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में **₹ 35.91 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार + सिविल कार्य हेतु ₹ 297.09 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹ 333.00 लाख (₹ तीन करोड़ तैंतीस लाख मात्र)** की औचित्यपूर्ण धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये **वित्तीय वर्ष 2014–15** में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किस्त **₹ 111.56 लाख (₹ एक करोड़ ग्यारह लाख छप्पन हजार मात्र) एवं राज्यांश ₹ 54.94 लाख (₹ चव्वन लाख चौरानवे हजार मात्र) कुल ₹ 166.50 लाख (₹ एक करोड़ छियासठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार के उक्त सदर्भित पत्र, दिनांक 19.09.2014 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं एम.एस.डी.पी. गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये।

3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विषयक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। **यदि अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो उच्च शिक्षा विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

7. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्मव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

11. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व प्रश्नगत योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–265(P)/XVII(3)/2014-15, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेंट आई.डी. संख्या–S1412150282, दिनांक 27 दिसम्बर, 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:– 1140 / XVII-3/14-07(18-MSDP)/2014 : तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

11. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 रा0 नि0 नि0 लि0, ई0 34 नेहरू कालोनी देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. नोडल अधिकारी / उपसचिव (एम0एस0डी0पी0) उत्तराखण्ड शासन।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9. एन.आई0सी. सचिवालय परिसर।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Minority Welfare (S064)

आवंटन पत्र संख्या - 1140/XVII-3/14-07(18-MSDP)/2014

अलोटमेंट आई डी - S1412150282

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक *27-Dec-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

लेखा शीर्षक 2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

01 - अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना (80

00 -

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	80076200	16650000	96726200
	80076200	16650000	96726200

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 16650000

(बी०एस० बोरा)
अनु सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन